-प्रेस नोट-

दिनांक:03.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 02 मोबाईल फोन , 02 बैटरी (मोटरसाइकिल की) एंव घटना में प्रयुक्त 01 सरिया बरामद ।

घटना का विवरणः

अवगत कराना है कि दिनाँक 24.03.2026 को वादी श्री शाकिब पुत्र अबजाल निवासी निवासी मनोहरपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की मोटर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान का शटर फाडकर दो alloy wheel , दो बैटरी, 01 मिक्चर व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 105/25 धारा 331(4),305(ए) बीएनएस का पंजीकृत किया गया ।दिनांक 30.03.2026 को वादी आमिर पुत्र यूनुस निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर द्वारा की लिखित तहरीर बाबत वादी की दुकान से दो मोबाईल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 116/26 धारा 303(2) बीएनएस का पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त दोनो चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतू दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/ थाना प्रभारी सिमंरन सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.04.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गस्त/चैकिंग के दौरान चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त **1. शम्सु पुत्र हामिद निवासी मौहल्ला भावासराय खुमरान पुल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर 2.सलमान पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला चौधरी विहार ताना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को TVS एजेन्सी के पास सुल्तानपुर जाने वाले रास्ते पर निर्माणाधीन मकान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे चोरी गये 02 मोबाईल फोन, 02 बैटरी (मोटर साइकिल की) एंव घटना में प्रयुक्त 01 सरिया बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त दोनो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवशय्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.शम्सु पुत्र हामिद निवासी मौहल्ला भावासराय खुमरानपुल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2.सलमान पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 02 मोबाईल (मु0अ0सं0 116/26 से सम्बन्धित)
- 02 बैटरी (मो0 सा0 की) (मु0अ0सं0 105/26 से सम्बन्धित)
- 01 सरिया लोहे का (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त शम्सु का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 162/19 धारा,8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 61/26 धारा305(डी),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 252/21 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 172/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 427/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. मु0अ0स0 45/25 धारा,8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. का0 1551 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 215 सुमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 2175 गोपाल सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. का0 2299 कृष्णवीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 03.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर पुलिस टीम द्वारा आनलाइन साईबर ठगी के शिकार हुए पीडित के खाते मे 3,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 20.02.2026 को वादी श्री मुमत्याज पुत्र नफीस अहमद निवासी भाऊपुर नलहैडा बक्काल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3,000/-रूपये की धोखाधडी करके साईबर ठगी के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर साईबर कम्पलैन्ट नम्बर 33102260040353 प्राप्त हुयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता अभियान के चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उपरोक्त साईबर शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त फ्रॉड में गयी धनराशि 3,000/- रूपये आवेदक श्री मुमत्याज उपरोक्त के खाते में शत प्रतिशत धनराशि वापस करायी गयी।

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साईबर टीम -

1. प्र0नि0 श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री कंवरपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. म0उ0नि0 सुधा त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. कम्प0आपरेटर ग्रेड-ए अरुण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. हैड का0 886 रीतू ढाका थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

CAUTION - साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार -

आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आमजन को ठगी से बचाने के लिए सहारनपुर पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि वे ऑनलाइन लेन-देन एवं सोशल मीडिया का उपयोग करते समय विशेष सतर्कता बरतें।

- किसी भी अनजान कॉल, लिंक या मैसेज पर विश्वास न करें।
- OTP, ATM PIN, CVV या बैंक डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
- फर्जी कॉल के माध्यम से KYC अपडेट या अकाउंट बंद होने जैसी धमकियों से सावधान रहें।
- केवल सुरक्षित (https://) वेबसाइट पर ही ऑनलाइन भुगतान करें।
- सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें।

यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होते हैं, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 **पर संपर्क करें या** www.cybercrime.gov.in **पर शिकायत दर्ज करें।**

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें — साइबर अपराध से बचें।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 03-04-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा बन्द मकान का ताला तोडकर चोरी करने वाला 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 पम्पिंह सैट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.04.2026 को वादी श्री मेधवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कविन्द्र सिंह निवासी ग्राम आमकी दीपचन्दपुर थाना नागल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1. प्रशांत पुत्र स्व0 रामकुमार, 2.भोला पुत्र सोमपाल निवासीगण ग्राम आमकी दीपचन्दपुर थाना नागल जिला सहारनपुर द्वारा वादी के मकान का ताला तोडकर ट्यूबवैल के 06 नल व करीब 15 कुंटल लोहा चोरी करके ले जाने के संबंध में थाना नागल पर मु0अ0सं0 112/26 धारा 305(a)/331(4)बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नांगल श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व मे नागल पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 02.04.2026 को थाना नागल पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गस्त/चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **प्रशान्त पुत्र रामकुमार निवासी आमकी दीपचन्दपुर थाना नागल जिला सहारनपुर** को ग्राम पहाडपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किया गया गया 01 पम्पिंग सैट बरामद किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 371(2 बीएनएस की वृद्धि की गयी।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवशयक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रशान्त पुत्र रामकुमार निवासी आमकी दीपचन्दपुर थाना नागल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 पम्पिंग सैट

गिरफ्तार अभियुक्त प्रशान्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 112/26 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. थाना प्रभारी श्री सन्दीप कुमार थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 मनेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर
3. है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नागल सहारनपुर
4. है0का0 1284 धर्मेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर
5. का0 2211 राहुल यादव थाना नागल सहारनपुर

दिनांक 03-04- 2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा धोखाधडी के मुकदमें अभियुक्त को 05 वर्ष का साधारण कारावास व कुल 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 13.12.2018 को वादी श्री धर्मपाल पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम तैय्यबपुर बढा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त मोरध्वज पुत्र जोधसिंह निवासी ग्राम जाटौल थाना देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा भूमि बेचने के नाम पर धोखाधडी करके पैसा हडप लेने के लिये धोखाधडी करने की सूचना पर मु0अ0सं0-1591/2018 धारा-420/467468/471 भादवि थाना देवबंद जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया।जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1228/2019 पर माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 03.04.2026 को अभियुक्त **मोरध्वज पुत्र जोधसिंह निवासी ग्राम जाटौल थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** उपरोक्त को मु0अ0सं0-1228/2019 धारा-420/467/468/471 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व कुल 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता-(डी0जी0सी0) मनोज कुमार।
विवेचक-निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार।
पैरोकार- है0का0 180 कपिल कुमार थाना देवबंद सहारनपुर।

दिनांक 03.04.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता एंव ए.एन.टी.एफ सहारनपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 662 ग्राम हेरोइन (स्मैक) (कीमत करीब 1 करोड़ 32 लाख 40 हज़ार रूपये), 830/- रुपये नगद एंव 01 मोबाईल फोन बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन सवेरा"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2026 को थाना गंगोह पुलिस एंव ए.एन.टी.एफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त जुनैद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम रतौंध थाना झिंझाना जनपद शामली (उत्तर प्रदेश)** को शामली हाईवे पर स्थित सतनाम चैरिटेबल ट्रस्ट के पास माध्यमिक विद्यालय जम्मूगढ़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कब्जे से कुल **662 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 1 करोड़ 32 लाख 40 हज़ार रूपये), 830 रुपये नगद एंव 01 मोबाईल फोन** बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नानौता पर मु0अ0सं0 76/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जुनैद उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जुनैद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम रतौंध थाना झिंझाना जनपद शामली (उत्तर प्रदेश)

बरामदगी का विवरणः-

- *662 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 1 करोड़ 32 लाख 40 हज़ार रूपये)*
- *830/- रुपये नगद एंव 01 मोबाईल फोन*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
2. *व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री रवि कुमार ए.एन.टी.एफ सहारनपुर*
4. *उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिह ए.एन.टी.एफ सहारनपुर*
5. *है0का0 अश्वनी कुमार ए.एन.टी.एफ सहारनपुर*
6. *का0 शिवम चौधरी ए.एन.टी.एफ सहारनपुर*
7. *का0 प्रभात पवांर ए.एन.टी.एफ सहारनपुर*
8. *का0 आशीष कुमार ए.एन.टी.एफ सहारनपुर*
9. *है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
10. *है0का0 106 विक्रान्त मान थाना नानौता जनपद सहारनपुर*